झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं. **393/2020**

भुवन भास्कर

याचिकाकर्ता

बनाम

1.राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निदेशक के माध्यम से, कार्यालय- बारीआतु, रिम्स, रांची

2.राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, कार्यालय- बारीआतु, रिम्स, रांची

3.शशि रंजन कुमार, पिता - बिक्रम सिंह, हिल व्यू रोड नंबर 7, बारीआतु, डाकघर - रिम्स, रांची

4.राजीव कुमार, पिता - श्री यमुन सिंह, क्यू. नंबर बी- II, 299, शर्मा रोड, धुर्वा, रांची

5. दीपक कुमार पाठक, पिता - श्री संजय कुमार पाठक, श्री राजीव कुमार मिश्रा के पास, ऑड्रे हाउस, मेयर की सड़क, राज भवन गेट नंबर 2 के पास, डाकघर - रांची विश्वविद्यालय, थाना- गोंडा, जिला - रांची

6. संतोष कुमार सिंह, पिता - श्री जितेंद्र सिंह, निवासी क्यू. नंबर सी1/12, सेक्टर – II, धुर्वा, रांची

7. बिनिता कुमारी, पति - श्री आनंद किशोर यादव, निवासी हिल व्यू रोड नंबर 13, बारीआतु, रांची

8.रत्नेश कुमार, पिता - श्री राम रतन प्रसाद, निवासी श्री रिम्स स्टाफ क्यू. नंबर 91 के पास, डाकघर और थाना - बारीआतु, जिला- रांची

9.अमित कुमार दीपक, पिता - श्री लक्ष्मण कुमार दीपक, - गांव सुरिद, डाकघर - लैंडोपाठ, थाना- सोनहातु, रांची

10.सोनल सिंह, पिता - श्री जगत किशोर सिंह, निवासी मुख्य सड़क के पास, थाना - बारवाडीह, लातेहार

11.अफसना रुही, पिता - श्री बसीर अहमद, निवासी- गांव और डाकघर - बोरेया, थाना- कंडी, जिला- गढ़वा

विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए:	श्री समीर सौरभ, अधिवक्ता
	श्री नितीश कृष्ण, अधिवक्ता
	श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता
रिम्स के लिए:	अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री शिवम सिंह, अधिवक्ता
	श्री प्रभात कुमार, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष 5 और 10 के लिए:	श्री लाल विक्रम नाथ शाहदेव, अधिवक्ता
	श्री भावेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष 4,6,7 और 11 के लिए:	श्री श्रेष्ठ गौतम, अधिवक्ता
	श्री ऋषु रंजन, अधिवक्ता
	श्री योगेंद्र यादव, अधिवक्ता
	श्री अंकित सिन्हा, अधिवक्ता
	श्री आर. सिंह, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष 8 के लिए:	श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता
	श्री हर्ष चंद्र, अधिवक्ता

28.06.2023 को सी. ए. वी. 09.01.2024 को सुनाया गया।

न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक: दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना

<u>प्रार्थना</u>

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना की है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची के उस भाग को रद्द किया जाए जो पत्र संख्या रिम्स/प्रशा /संख्या. 77, दिनांक 27.01.2020

(अनुबंध-11) के माध्यम से जारी की गई है, क्योंकि यह उत्तरदाता संख्या 3 से संबंधित है, जिसे प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है, जबकि उसने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की है कि प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति से संबंधित पूरी चयन सूची को रद्द किया जाए, क्योंकि उत्तरदाताओं ने कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव के आधार पर दिए गए अंकों के साथ जोड़कर मेरिट सूची तैयार की है, जो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी पत्र संख्या F. संख्या 39020/09/2015 – स्था बी में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के विपरीत है। चयनित उम्मीदवारों की सूची को रद्द करने के बाद, उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को निर्देश दिया जाए कि वे इसे संशोधित करें और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और अनुभव के आधार पर दिए गए अंकों के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार करें। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि उसने उत्तरदाता संख्या 3 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रयोगशाला तकनीशियन के पद सहित विभिन्न ग्रेड-III पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 955(ए), दिनांक 08.03.2019 प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद सुधारात्मक विज्ञापन संख्या 1097, दिनांक 16.03.2019 जारी किया गया। अनारक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई थी और आवश्यक योग्यता आई.एससी./10+2 (विज्ञान) थी जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन में डिग्री/डिप्लोमा होना आवश्यक था और उम्मीदवार का राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। याचिकाकर्ता, झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होने के नाते सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा कर रहा था और इस प्रकार उसने निर्धारित समय में निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। 16.09.2019 को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु योग्य उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की गई और उम्मीदवारों को 21.09.2019 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। परीक्षा के बाद, परिणाम 30.12.2019 को प्रकाशित किया गया। इसके बाद, कार्यालय आदेश दिनांक 30.12.2019 (अनुबंध-8) के अनुसार, प्रभावित उम्मीदवारों से उनके द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं जो कि 04.01.2020 तक थीं और

दस्तावेज़ सत्यापन और कौशल परीक्षण की तिथियाँ भी घोषित की गईं। इसके बाद, दिनांक 06.01.2020 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी में क्रमांक 14 पर 47.5 अंक प्राप्त करने वाला बताया गया। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ता को नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया और उम्मीदवारों की सूची 08.01.2020 को फिर से जारी की गई जिसमें याचिकाकर्ता क्रमांक 14 पर था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 09.01.2020 को कौशल परीक्षण में भाग लिया। हालांकि, कौशल परीक्षण की जगह उत्तरदाताओं द्वारा साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद प्रयोगशाला तकनीशियन के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी मेरिट सूची प्रकाशित की गई जिसके लिए नोटिस पत्र संख्या रिम्स/प्रशा/संख्या 77, दिनांक 27.01.2020 जारी किया गया। अस्थायी मेरिट सूची दिनांक 27.01.2020 से स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी में क्रमांक 7, 10 से 17 तक के उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उन्हें प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से चयनित किया गया है। उत्तरदाता संख्या 3 का नाम सामान्य श्रेणी में क्रमांक 17 पर है, हालाँकि उक्त उत्तरदाता संख्या 3 ने केवल 33.5 अंक प्राप्त किए थे और वह क्रमांक 40 पर था, जो कि दिनांक 08.01.2020 के नोटिस से स्पष्ट है जबकि याचिकाकर्ता ने 47.5 अंक प्राप्त किए थे और वह क्रमांक 14 पर था लेकिन उसे नियुक्ति हेतु चयनित नहीं किया गया। उत्तरदाताओं ने चयनित उम्मीदवारों की एक नई सूची प्रकाशित की जो मेमो संख्या 4046/ रिम्स, दिनांक 20.10.2020 में शामिल है। याचिकाकर्ता का यह शिकायत है कि चयनित उम्मीदवारों में राजीव कुमार, दीपक कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह, बिनिता कुमारी, रत्नेश कुमार, अमित कुमार दीपक, सोनल सिंह और अफसाना रुही जैसे उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं और फिर भी उनके नाम अंतिम सूची दिनांक 20.10.2020 में शामिल हैं। उक्त सूची में उत्तरदाता संख्या 3 शशि रंजन का नाम नहीं है। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जिसमें याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं वह खराब है, अवैध है और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतिकरण

4. श्री समीर सौरभ, श्री नितेश कृष्ण और श्री विशाल कुमार द्वारा सहायक, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए आवश्यक आवश्यक योग्यताओं और मानदंडों को पूरा करता है और वह झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल, रांची में

पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या 2235/जीएसपीसी, रांची है, जिसके लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया है। उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में चयनित और नियुक्त किया गया था और वह वहां काम कर रहा था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने 47.5 अंक प्राप्त किए और वह क्रमांक 14 पर रखा गया लेकिन उसे नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया गया जबकि विरोधी पक्ष संख्या 3 सामान्य श्रेणी में क्रमांक 17 पर था और उसने 33.5 अंक प्राप्त किए लेकिन उसे केवल इसलिए चयनित किया गया क्योंकि उत्तरदाता अधिकारियों ने कौशल परीक्षा में अंक दिए थे और इन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ-साथ अनुभव के आधार पर प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा गया था और इन्हें जोड़ने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि उत्तरदाताओं का यह कार्य भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमेय नहीं है जिसे झारखंड राज्य द्वारा पत्र संख्या एफ. सं. 39020/09/2015 – Estt. B के माध्यम से अपनाया गया है, जो कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्रेड-बी,सी और डी (अराजपत्रित) पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। हालांकि, कौशल परीक्षा साक्षात्कार से भिन्न है और इसे भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जा सकता है। ये परीक्षण योग्यता की प्रकृति के हैं और किसी उम्मीदवार द्वारा कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अंततः चयनित उम्मीदवारों में राजीव कुमार, दीपक कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह, बिनिता कुमारी, रत्नेश कुमार, अमित कुमार दीपक, सोनल सिंह और अफसाना रुही जैसे उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं और फिर भी उनके नाम अंतिम मेरिट सूची दिनांक 20.10.2020 में शामिल हैं। उक्त सूची में उत्तरदाता संख्या 3 शशि रंजन का नाम नहीं है। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जिसमें याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं वह खराब, अवैध है और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। कौशल परीक्षा योग्यता की प्रकृति की होती है और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

<u>उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण</u>

5. इसके विपरीत, विरोधी पक्ष की ओर से एक प्रतिवेदन दायर किया गया है।

6. श्री लाल विक्रम नाथ शाहदेव और श्री भवेश कुमार तिवारी, विरोधी पक्ष संख्या 5 और 10 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया है और जोर देकर कहा है कि यह याचिका स्वयं में स्वीकार्य नहीं है। आगे तर्क किया गया है कि यदि कौशल परीक्षा के अंक को ध्यान में रखा गया तो भी याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ क्योंकि यह हर उम्मीदवार के लिए समान था। आगे यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 14 और 16 इस मामले में लागू नहीं होते हैं और इस प्रकार उनके उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है। चयन समिति के अधिकारों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई थी। नियुक्तियाँ पूरी तरह से उचित हैं। कोई भेदभाव नहीं है। अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता जताई, जो कि रण विजय सुंइंग और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य मामले में (2018) 2 एससीसी 357 में दिया गया था, और इसके पैराग्राफ-31 का उल्लेख किया तथा आगे कहा कि सहानुभूति या करुणा का उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश देने या न देने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। यदि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो सभी उम्मीदवार प्रभावित होते हैं। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया को केवल इसलिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि के कारण कुछ अन्याय का अनुभव होता है। सभी उम्मीदवार समान रूप से प्रभावित होते हैं, हालांकि कुछ अधिक प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती।

7. श्री श्रेष्ठ गौतम, विरोधी पक्ष संख्या 4, 6, 7 और 11 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि चूंकि उत्तरदाता विज्ञापन के अनुसार प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे थे, इसलिए उनकी उम्मीदवारी स्वीकार की गई। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि योग्य उम्मीदवारों की सूची में विरोधी पक्ष संख्या 6 और 11 का नाम सही ढंग से शामिल था और उसके बाद वे स्क्रीनिंग टेस्ट (लिखित परीक्षा) में उपस्थित हुए जो 21.09.2019 को आयोजित होने वाला था। आगे यह तर्क किया गया कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, उत्तरदाताओं का चयन किया गया और 06.01.2020 को कौशल परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की गई जिसमें भी उत्तरदाताओं के नाम शामिल थे। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, विरोधी पक्ष संख्या 6 और 11 के दस्तावेज़ विज्ञापन के संदर्भ में सही पाए गए।

चूंकि विरोधी पक्ष संख्या 6 और 11 कौशल परीक्षण में उपस्थित हुए और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, उनके नाम चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में शामिल हुए और इस प्रकार चयन सूची में कोई अवैधता या दोष नहीं है। नियुक्तियाँ पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गईं और कोई अवैधता नहीं हुई। नियमों का हवाला देते हुए, यह भी कहा गया कि रिम्स एक स्वायत्त निकाय है और अपने नियमों और प्रक्रियाओं को बनाने का अधिकार रखता है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य सरकार की शक्तियों के तहत रिम्स अधिनियम, 2002 की धारा 29 पढ़कर धारा 31 ने पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों के नियम, 2015 (पैरामेडिकल नियुक्ति नियम) बनाए हैं जो मेमो संख्या 192(ii) दिनांक 29.07.2015 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे और चयन उक्त नियमों के तहत बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं। अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करने के लिए कौशल परीक्षण सहित कोई दोष या अवैधता नहीं है। उत्तरदाताओं की नियुक्तियों को सही ठहराते हुए, अधिवक्ता ने तर्क किया कि उपरोक्त पैरामेडिकल नियुक्ति नियमों की धारा 4(4)(III) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि खुली विज्ञापन के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर भर्ती उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा के अंक शामिल हैं और इस प्रकार कौशल परीक्षण के अंकों को अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इसे नियुक्तियों के उद्देश्यों के लिए साक्षात्कार से प्रतिस्थापित किया गया है।

8. डॉ. अशोक कुमार सिंह, श्री शिवम सिंह और श्री प्रभात कुमार द्वारा सहायक, रिम्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों का विरोध करते हुए तर्क किया कि निदेशक रिम्स में श्रेणी-III और IV पदों पर नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार रखता है। रिम्स अधिनियम, 2002 या रिम्स नियम, 2002 तथा रिम्स विनियमन, 2014 में श्रेणी-III और IV पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता एवं प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया है। ऐसा करने का अधिकार होने के नाते निदेशक ने वरिष्ठ चिकित्सकों की एक समिति गठित की और उसके बाद समिति द्वारा निर्धारित शर्तों एवं विज्ञापन के अनुसार नियुक्तियाँ की गईं। प्रक्रियाओं एवं चयन सूची को सही ठहराते हुए यह तर्क किया गया कि यदि साक्षात्कार लिया जाता है तो वह अनुमेय एवं उचित होता है। अधिवक्ता ने आगे

कहा कि राज्य सरकार ने रिम्स में श्रेणी-III और IV स्टाफों के चयन प्रक्रिया को लेकर कोई निर्देश या दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। राज्य द्वारा जारी किसी भी निर्देश की अनुपस्थिति में, रिम्स निदेशक का नियम एवं विनियम बनाना कर्तव्य था जो कि किया गया था तथा पारदर्शी नियुक्तियाँ की गईं। पैराग्राफ-5 से 16 तक का सहारा लेते हुए अधिवक्ता ने चयन प्रक्रिया को सही ठहराया और तर्क किया कि याचिका योग्यता रहित है और इसे खारिज करने योग्य माना जाना चाहिए।

9. अन्य निजी उत्तरदाताओं ने निजी उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को अपनाया है।

<u>अदालत के निष्कर्ष</u>

10. दोनों पक्षों के प्रतिकूल प्रस्तुतिकरण और उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए प्रतिवेदन - रिम्स और निजी उत्तरदाताओं के प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद, यह उचित होगा कि उन स्वीकृत तथ्यों पर विचार किया जाए जो पक्षों द्वारा विवादित नहीं हैं:

11. विज्ञापन या नियमों में कौशल परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता और निजी उत्तरदाताओं सहित सभी उम्मीदवारों ने कौशल परीक्षा में भाग लिया और लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता ने अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जैसा कि जांच रिपोर्ट और रिम्स द्वारा दायर किए गए अतिरिक्त प्रतिवेदन, पृष्ठ-40 से स्पष्ट है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, चयन प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता था क्योंकि स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है और अतिरिक्त प्रतिवेदन, पैराग्राफ-12 से 16 से बल मिलता है कि अंकों के आवंटन के बाद, समायोजन किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि समायोजन का आदेश किसने दिया और ऐसा समायोजन करने का अवसर क्या था। क्या यह उचित था या केवल अपने उम्मीदवारों की चयन में मदद करने के लिए, अंतिम चयन सूची को समायोजन के रूप में संशोधित किया गया।

12. स्वास्थ्य सचिव द्वारा दायर किए गए प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि अवैधताएँ समाप्त नहीं की जा सकतीं। स्वास्थ्य सचिव द्वारा दायर किए गए प्रतिवेदन और रिकॉर्ड पर लाए

गए जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह पक्षपात और भाई-भतीजावाद की गंध देता है, तब बड़ा प्रश्न उठता है - क्यों पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

13. रिम्स द्वारा लाए गए अतिरिक्त प्रतिवेदन में चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अंकों को बढ़ाया गया था। अंकों का समायोजन न तो शासी निकाय की स्वीकृति है और न ही राज्य की। क्या बिना किसी स्वीकृति के इसे उचित ठहराया जा सकता है? अनुबंध-12, पृष्ठ-69 स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कौशल परीक्षा केवल योग्यता की प्रकृति की थी और इसे झारखंड राज्य द्वारा अपनाया गया था। इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। यह अतिरिक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ-21 पर भी पाया जाता है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि सभी ने लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन के उत्तर में, रिम्स ने 17.04.2021 को पूर्ण अंक पत्र प्रदान किया केवल अपनी छवि बचाने के लिए।

14. अब उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि जब कौशल परीक्षा, साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं था, तब क्या कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची तैयार करने में विचार किया जा सकता है। उत्तरदाता संख्या 4 और 8 के अंक पत्र से यह प्रतीत होता है कि सूचना के अधिकार के तहत दिए गए चार्ट में दो अंक दिए गए थे लेकिन उत्तरदाता द्वारा संलग्न अंक पत्र में दस अंक दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार, उत्तरदाता संख्या 9 ने सूचना के अधिकार के तहत दिए गए चार्ट के अनुसार चार अंक प्राप्त किए लेकिन प्रतिवेदन में यह बारह अंक दिखाता है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंकों और सूचना के अधिकार द्वारा दिए गए अंकों में पूर्ण भिन्नता और परिवर्तन है। संपूर्ण दस्तावेज़ दिखाते हैं कि यहाँ धोखाधड़ी, पक्षपात और भाई-भतीजावाद हुआ है जिसे नकारा नहीं जा सकता।

15. प्रतिवेदन और तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ की गई हैं और वे अभी भी कार्यरत हैं। नियुक्तियाँ नियमों और विनियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए की गईं और आगे लाए गए दस्तावेज़ दिखाते हैं कि यहाँ पक्षपात और धोखाधड़ी हुई है।

16. यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह

मामले में विचाराधीन आया (2009) 5 एससीसी 65 में। उक्त निर्णय के पैराग्राफ-60 और 61 इस प्रकार हैं:

> *"60. हमारे अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील में कोई योग्यता नहीं है। यदि उत्तरदाताओं की प्रारंभिक नियुक्तियाँ स्वयं में अवैध पाई जाती हैं, तो उच्च न्यायालय द्वारा उनकी पुनः नियुक्ति के लिए दिए गए निर्देश को उनके सेवाओं के तथाकथित नियमितीकरण पर निर्भर होकर अनुमोदित नहीं किया जा सकता। यदि उत्तरदाताओं को सक्षम प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन जारी करने या रोजगार विनिमय को अनुरोध भेजने के बाद नियुक्त किया गया होता ताकि बाद में योग्य व्यक्तियों के नामों को प्रायोजित किया जा सके, तो वे निश्चित रूप से उच्च न्यायालय या कम से कम इस न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करते। हालाँकि, तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं की नियुक्तियों को वैधता प्रदान करने वाले कोई भी दस्तावेज उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।*
>
> *61. डॉ. दारोगी रजाक, तब के क्षेत्रीय निदेशक, गया के खिलाफ आयोजित जांच की रिपोर्ट (इस रिपोर्ट की एक प्रति इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में रखी गई है) यह स्पष्ट प्रमाण देती है कि अधिकारी ने श्रेणी III और IV पदों पर नियुक्तियों में हेरफेर किया। इतना ही नहीं, अवैधता के हर निशान को मिटाने के लिए, डॉ. दारोगी रजाक ने अपने कार्यालय से नियुक्तियों से संबंधित सभी कागजातों को गायब कराने का सुनिश्चित किया।"*

17. इस मामले में, जांच रिपोर्ट और अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य सचिव के हलफनामे से यह स्पष्ट है कि अवैधताएँ, पक्षपात और भाई-भतीजावाद हैं, जिसे स्वास्थ्य सचिव ने स्वयं रिकॉर्ड पर लाया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अंकों में भिन्नता और उत्तरदाताओं द्वारा उनके व्यक्तिगत हलफनामे में लाए गए अंकों से यह स्पष्ट होता है कि सब कुछ केवल अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया गया था। नियुक्तियों की प्रक्रिया, यहां तक कि श्रेणी-III और IV पदों पर भी, पारदर्शी होनी चाहिए। खेल के नियमों को मध्य में या

खेल समाप्त होने के बाद नहीं बदला जा सकता, जो कानून के स्थापित सिद्धांत हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है।

18. चूंकि वे व्यक्ति जो नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, नियुक्ति के फलों का आनंद ले रहे हैं और जो योग्य हैं, उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया है, इस न्यायालय का मानना है कि प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति के लिए तैयार की गई पैनल को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई मेरिट सूची भी स्थायी नहीं है और इसलिए उक्त मेरिट सूची खड़ी होने लायक नहीं है और उस मेरिट सूची से कोई भी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। हालांकि, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय, मैं यहाँ उत्तरदाताओं को निर्देश देता हूँ कि वे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव के आधार पर एक नई मेरिट सूची तैयार करें। उत्तरदाताओं को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के अनुसार पैनल/मेरिट सूची तैयार करें और कानून के अनुसार प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्तियाँ करें। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और कौशल परीक्षा के आधार पर तैयार की गई पूर्व मेरिट सूची के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर पूर्व में की गई नियुक्ति को यहाँ रद्द और निरस्त किया जाता है और उस पर आधारित कोई भी नियुक्ति भी यहाँ रद्द और निरस्त की जाती है।

19. लिखित अंकों और अनुभव के आधार पर तैयार की गई नई मेरिट सूची को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नई नियुक्तियाँ की जाएँ। इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/उत्पादन की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाए।

20. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ याचिका स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|